कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : एफ 15( ) 2022–23 / गोप्र / प्रमुवसं / दिनांक :

–:: कार्यालय–आदेश ::–

राजस्थान वन अधीनस्थ सेवा नियम, 2015 के नियम 36 (ख) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 04.03.2023 की अभिशंषा पर वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय की वर्ष 2022–23 की रिक्तियों में श्री प्रभूराम धूण, वनपाल के विरूद्ध सी.सी.ए. नियम–17 में आरोप पत्र लम्बित होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा सीलबन्द लिफाफे में रखी गयी।

उप वन संरक्षक, अजमेर के आदेश क्रमांक सम 5310–14 दिनांक 20.06.2023 द्वारा श्री प्रभुराम धूण, के विरूद्ध लम्बित उक्त विभागीय जांच के प्रकरण को समाप्त कर दिया गया।

फलस्वरूप श्री प्रभूराम धूण के प्रकरण में सीलबन्द लिफाफा दिनांक 05.10.2023 को खोला गया। विभागीय पदोन्नति समिति ने श्री प्रभूराम धूण को वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय की वर्ष 2022–23 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाया।

अतः विभागीय पदोन्नति की अभिशंषा पर श्री प्रभूराम धूण को वनपाल से क्षेत्रीय वन अधिकारी–द्वितीय की वर्ष 2022–23 की रिक्तियों में वरिष्ठता–सह–योग्यता के आधार पर पदोन्नत किया जाता है। पदोन्नति पर श्री प्रभूराम धूण की रिक्ति दिनांक 01.04.2022 हैं।

श्री प्रभूराम धूण पदोन्नति पर अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे तथा कार्य–भार ग्रहण की रिपोर्ट इस कार्यालय को भिजवायेंगे। इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

(मुनीश कुमार गर्ग)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख)
राजस्थान,जयपुर

क्रमांक : एफ 15( ) 2022–23 / गोप्र / प्रमुवसं / 8571–76 दिनांक : 6/10/2023

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
2. उप वन संरक्षक, अजमेर।
3. उप वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशन करने हेतु।
4. श्री प्रभूलाल धूण, वनपाल द्वारा कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर।
5. क्षेत्रीय अनुभाग, कार्यालय हाजा
6. रक्षीत पत्रावली।

(बृज मोहन गुप्ता)
उप वन संरक्षक (अराज.प्रस्था.)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक
राज. जयपुर